



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



क्रमांक: एफ4()भण्डार/आईजीपीआरएस/2025/1424/27

दिनांक: 8/7/2025

सीमित निविदा

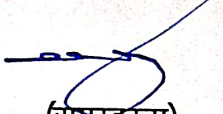
संस्थान में चाय एवं अन्य सामान आपूर्ति कार्य की रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रुपये लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	चाय एवं अन्य सामान आपूर्ति कार्य	1.90 लाख	500/-	08.07.2025	17.07.2025

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त कार्यों हेतु निविदाएँ मुहरबन्द लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम लिखा हो, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में निर्धारित तिथि को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस दिवस को अपराह्न 3:00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी।

बोली प्रपत्र, कार्य का विवरण व शर्तें जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जावे, उससे सम्बन्धित निविदा प्रपत्र व शर्तों का ही प्रिन्ट लेकर निविदा प्रस्तुत करें।


(रामस्वरूप)

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि:-

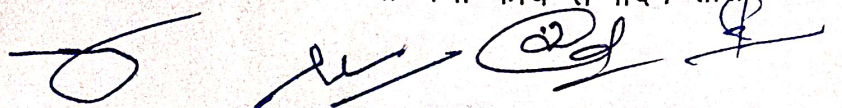
1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा प्रपत्र भिजवायी जाकर लेख है कि उक्त निविदा को नियमानुसार समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये।
2. प्रोग्रामर उक्त निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं SPPP Portal पर अपलोड करावे।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड, संस्थान।


उपनिदेशक (प्रशा.)

चाय एवं अन्य सामान आपूर्ति कार्य की निविदा शर्तें व विवरण

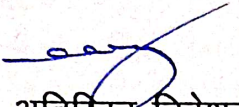
1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
3. टेण्डर के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
4. निविदा के साथ राशि 500/- की निविदा फार्म फीस का डी.डी. जोकि इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के नाम देय होगा संलग्न किया जाना आवश्यक है।
5. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
6. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये आदिष्ट परिमाण की रकम की 0.50 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है, के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का 01 प्रतिशत होगी।
7. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
8. निविदा दिनांक ~~17.07.2023~~ को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
9. निविदा दिनांक ~~17.07.2023~~ को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी।
10. निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फर्म के साथ संलग्न की जावे।
 1. यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 2. यदि भागीदारी का है—भागीदारी—डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 3. यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टिकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।

4. फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
11. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
12. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण-पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
 3. PAN कार्ड
 4. किसी भी विभाग एवं संस्था में गत 03 वर्षों में ब्लैकलिस्ट नहीं होने का स्वघोषण पत्र
13. अतिरिक्त निदेशक, संस्थान जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा इस कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
14. कार्य की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम दारों वाली निविदा को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
15. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों के साथ RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के समस्त नियम लागू होंगे।
16. संस्थान द्वारा अनुमोदित सामान को आदेशित करने के उपरान्त भी फर्म द्वारा सामान की सप्लाई संस्थान को नहीं की जाती है तो संस्थान द्वारा वो सामान बाजार से क्रय किया जायेगा एवं इस पर आने वाला अतिरिक्त व्यय/भार अनुमोदित फर्म से वसूला जायेगा।
17. सामान की दरे एफओआर देनी होगी। किसी प्रकार का खर्च संस्थान द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
18. सामान आदेश के 2 कार्य दिवस में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
19. वित्तीय निविदा प्रपत्र में सभी सामानों की दरे अंकित करवाया जाना आवश्यक होगा।
20. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय ही अन्तिम होगा।
21. निविदा शर्तों का उलंघन करने पर फर्म द्वारा जमा करवायी गयी कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जावेगी।



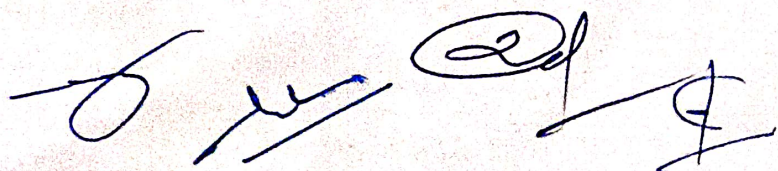
22. L-1 फर्म का निर्धारण प्रति इकाई के समक्ष दर्शायी गयी दर के योग के न्यूनतम के आधार पर किया जावेगा।

23. निविदा की अवधि कार्यदेश जारी होने के 1 वर्ष तक के लिये मान्य है।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाईल नं०

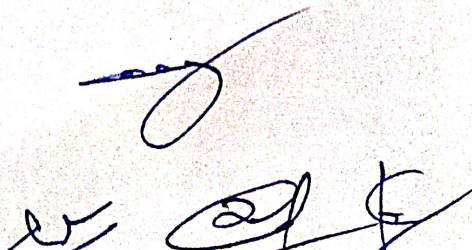


निविदा दर प्रस्तुत करने का प्रपत्र

क्र.सं.	सामान का विवरण	प्रति किलो प्रति पेकेट ग्राम सहित	दर (रु.) जी एस टी एवं समस्त करों सहित
1.	एवरेडी मिल्क दूध	400 ग्राम	
2.	शूगर क्यूब (100 नग)	एक किलो	
3.	ताज महल चाय	प्रति किलो	
4.	कॉफी (नेसकैफे कॉफी)	50 ग्राम	
5.	कॉफी (नेसकैफे कॉफी)	100 ग्राम	
6.	लेमन टी बैग	प्रति पैकेट	
7.	बिस्किट नमकीन (मोनाको)	प्रति पैकेट	
8.	बिस्किट मिठे (ब्रिटानिया) गुड डे, क्रीम बिस्कुट	प्रति पैकेट	
		प्रति पैकेट	
9.	नमकीन भुजिया (बीकानेरी)	एक किलो	
		400 ग्राम	
10.	ग्रीन टी लेमन एण्ड हनी बैग टी	प्रति पैकेट	
11.	ग्रीन टी बैग ट्वींग	प्रति पैकेट	
12.	तुलसी जिनजर टी	प्रति पैकेट	
13.	चीनी प्रति किलो	एक किलो	
14.	तुलसी ग्रीन टी	प्रति पैकेट	
15.	ताजमहल टी बैग	प्रति पैकेट	
16.	शहद डाबर हनी	एक किलो	
17.	मिरिन्डा, पेप्सी, कोकालोला	दो लीटर	
18.	शुगर फ्री	प्रति पैकेट 50 टेबलेट	
19.	लौंग	एक किलो	
20.	इलायची	एक किलो	
21.	काली मिर्च	एक किलो	
22.	सौंदा नमक	एक किलो	
23.	ताजमहल ब्रुक बॉण्ड टी बैग	प्रति पैकेट	
24.	ग्रीन टी बैग	प्रति पैकेट	
25.	न्यूट्री चोईस बिस्कुट मीठे	प्रति पैकेट	
26.	न्यूट्री चोईस नमकीन बिस्कुट	प्रति पैकेट	
27.	टेटली ग्रीन टी	प्रति पैकेट	
28.	ग्रीन टी एण्ड लैमन ट्वीनिंगस	प्रति पैकेट	
29.	कुकीज एण्ड मोर बिस्कुट (मीठे)	प्रति पैकेट	
30.	कुकीज एण्ड मोर बिस्कुट (नमकीन)	प्रति पैकेट	
31.	टेटली ग्रीन टी विथ लेमन एण्ड हनी	प्रति पैकेट	
32.	टेटली लेमन	प्रति पैकेट	
33.	डबल डायमण्ड ताजमहल चाय	प्रति किलो	
34.	तुलसी ग्रीन टी लेमन जींगर	प्रति पैकेट	
35.	डेवीडोफ केफे	प्रति पैकेट	
36.	तुलसी ग्रीन टी	प्रति पैकेट	
37.	गिरनार (Detox Green Tea Desi Kahwa)	प्रति पैकेट	
38.	सौंठ	प्रति किलो	
39.	नेशले दूध डीप	प्रति किलो	
40.	ब्लेक टी (ताजमहल/टेटली/लिफ्टस, ओर्गेनिक इण्डिया ग्रीन गया/गिरनार/ट्वींग)	प्रति पैकेट	
41.	मोगर	प्रति किलो	

42.	बीकाजी गिवस नमकीन	एक किलो	
		400 ग्राम	
43.	ऑडोनेल ब्लाक फॉर टॉयलेट	प्रति पैकेट	
	बंडर फेश फॉर टॉयलेट	प्रति पैकेट	
44.	हीट (बगली)	प्रति नग	
	हीट (लाल)	प्रति नग	
45.	बॉथ शॉप साबून	प्रति नग	
46.	हारपिक	प्रति नग	
47.	बीकाजी नमकीन कुछ-कुछ	एक किलो	
		400 ग्राम	
48.	सर्फ	प्रति किलो	
49.	लक्स साबून	प्रति नग	
50.	लिविड हैण्डवास (डिटोल/ लाईफवॉय/ संतूर)	प्रति नग	
51.	कोलीन	प्रति नग	
52.	सेनेटाईजर	100 ग्राम	
53.	यूरिनल क्यूब बडी (कलर)	प्रति पैकेट	
	यूरिनल क्यूब (छोटी)	प्रति पैकेट	
54.	कपूर गोली	प्रति किलो	
55.	लक्ष्मण रेखा	प्रति पैकेट	
56.	टिसू पेपर (100 पीस)	प्रति पैकेट	
57.	ऑल आउट रिफिल व मशीन	प्रति नग	
58.	फिनाईल	प्रति किलो	
59.	एसिड	प्रति लीटर	
60.	नेपथलीन बाल (बडी)	प्रति पैकेट	
	नेपथलीन बाल (छोटी)	प्रति पैकेट	
61.	काला नमकीन (चौला मोगर, चना जोरगरम, बेसन की मोटी नमकीन आदी)	प्रति किलो	
62.	उक्त सामान के अतिरिक्त अन्य कोई सामान की यदि संस्थान को आवश्यकता हो एवं उसकी सप्लाय करने हेतु फर्म को आदेशित किया जाता है तो उक्त सामान को फर्म एम आर पी/प्रचलित बाजार दर से कितने प्रतिशत डिस्काउंट पर संस्थान को उपलब्ध करवाने को सहमत होगी का उल्लेख करें।		
कुल योग			

1. अनुमोदित दरों पर अनुमोदित सामान 02 दिवस में शर्तों के अनुरूप सप्लाय की जानी होगी।
2. सामान उत्कृष्ट क्वालिटी एवं ब्राण्डेड कम्पनी का होना चाहिए। (जिन सामानों के आदेशों में कम्पनी का उल्लेख नहीं किया गया हो)।
3. प्रपत्र में अंकित सभी सामानों की दरे अंकित की जानी आवश्यक है।
4. L-1 फर्म का निर्धारण प्रति इकाई के समक्ष दर्शायी गयी दर के कुल योग के न्यूनतम के आधार पर किया जावेगा।



अतिरिक्त निदेशक